भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 2114
16/12/2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

तमिलनाडु में कार्यान्वित की गई परियोजनाएं

2114 डॉ. कनिमोझी एनवीएन सोमू :

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु राज्य में मंत्रालय की लागू की गई या लागू की जा रही योजनाओं और परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्य निष्पादन का आकलन किया है यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ग) ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों हेतु कुल कितनी निधि आंवटित की गई है ?

उत्तर
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तमिलनाडु सहित पूरे देश को मौसम, जलवायु, समुद्र, तटीय राज्य, जल विज्ञान और भूकंप संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए पृथ्वी प्रणाली विज्ञान से संबंधित सभी पहलुओं का समग्र रूप से समाधान करता है। इन सेवाओं में उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तूफानी लहरों, बाढ़, लू, गर्ज के साथ तूफान और बिजली गिरना एवं सुनामी तथा भूकंप आदि जैसी विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के लिए पूर्वानुमान और चेतावनियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय को सजीव और निर्जीव संसाधनों के लिए समुद्र सर्वेक्षण करने तथा तीनों ध्रुवों (आर्कटिक, अंटार्कटिक और हिमालय) में खोज करने का अधिदेश प्राप्त है। ये सभी गतिविधियां पूरे देश के लिए की जाती हैं, न कि राज्यवार। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की छह प्रमुख स्कीमें इस प्रकार हैं:

(i) वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान, प्रेक्षण विज्ञान सेवाएँ (अक्रॉस)
(ii) समुद्री सेवाएं, मॉडलिंग अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी (ओ-स्मार्ट)
(iii) ध्रुवीय और हिमांकमंडलीय अनुसंधान (पेसर)
(iv) भूकंप विज्ञान और भूविज्ञान अनुसंधान (सेज)
(v) डीप ओशन मिशन (डोम) - हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित।
(vi) अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और आउटरीच (रीचआउट)

(ख) जी, हाँ। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के केंद्रों द्वारा निष्पादित की जा रही मुख्य रूप से उपर्युक्त सभी स्कीमों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों की निगरानी के लिए एक मजबूत त्रि-स्तरीय तंत्र अपनाया गया है। शीर्ष स्तर पर, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए समग्र दिशानिर्देश वित्त वर्ष के प्रारंभ में और वर्ष के मध्य (अप्रैल और सितंबर) में अर्द्धवार्षिक आधार पर समीक्षा हेतु प्रदान किया जाता है। संस्थान के स्तरों पर, विशेष रूप से मंत्रालय के स्वायत्त निकायों के लिए, केंद्रों की अनुसंधान परामर्शदात्री समिति द्वारा समय-समय पर कार्यक्रमों की निगरानी की जाती है। संबंधित केंद्र की शासी परिषद और वित्तीय समिति भी तकनीकी और वित्तीय दोनों दृष्टिकोणों से समीक्षा कर दिशा प्रदान करती हैं।

(ग) पिछले 3 वर्षों के लिए, सभी स्कीमों के लिए आबंटित कुल धनराशि और व्यय ब्यौरा नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
2018-19	1800.00	1745.63
2019-20	1809.74	1722.59
2020-21	1300.00	1285.76

*****